बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सू०सं0–निग / सारा–4(पथ) आरोप–40 / 2017 (अंश) 4816(S) पटना, दिनांक 16/7/2026

अधिसूचना

प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के निदेशानुसार OPRMC अन्तर्गत संधारित पथों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु विभागीय पत्रांक–5033 (एस) अनु0 दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–15.06.2017 से दिनांक–22.06.2017 के बीच संबंधित पथों का स्वतंत्र निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत् विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दल के द्वारा निरीक्षणोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन का सत्यापन प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरान्त निम्न त्रुटियाँ / अनियमितता पाई गई :–

(i) पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत OPRMC के तहत् पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत पैकेज संख्या–27 में शामिल पथों, जिसकी सूची निम्नवत् है :–

सुपौल सिंघेश्वर रोड, पुनिया–सहरसा रोड, रा0उ0प0–106 से रा0उ0प0–107 पश्चिमी बाईपास रोड, कर्पूरी चौक से पतर घाट रोड, मुरलीगंज बभनगांवा बिहारीगंज रोड, किशुनगंज–बिहारीगंज रोड, कर्मा–आलमनगर रोड, आलमनगर–बुद्धमा माली चौक रोड, किशनगंज चौसा रोड, चौसा लौआलवान विजयघाट रोड, गोवालपाड़ा–अतलख रोड, खुरहान परेल रतवाड़ा रोड का रख–रखाव / संधारण अन्य पथ प्रमंडलों की तुलना में सबसे खराब स्थिति में पायी गयी है।

2. उक्त वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संबंध में विभागीय पत्रांक–8869 (एस) अनु० दिनांक–10.10.2017 द्वारा **श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल कुमारखंड, पथ प्रमंडल, मधेपुरा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री चौधरी के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित नहीं किया गया।

3. तद्‌लोक में श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल कुमारखंड, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत के विरूद्ध उक्त त्रुटियों के लिए आरोप गठित कर विभागीय पत्रांक–4296 (एस) अनु0 दिनांक–18.08.2022 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 (ग) के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्मारोपरांत इनके पत्रांक–शून्य दिनांक–19.08.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

4. श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि मामले में समरूप आरोपों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता श्री नौशाद आलम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया था। प्राप्त संचालन प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा

कृ०पृ०उ०

के उपरांत पाया गया कि चूंकि Service Level में पाये गये Non-Compliance के लिए वांछित कटौतियाँ किये जाने की पुष्टि संचालन पदाधिकारी के द्वारा अभिलेखों के आधार पर की गयी है, साथ ही गठित आरोप की प्रकृति गुणवत्ता/विशिष्टियों से संबंधित न होकर भौतिक सत्यापन पर आधारित है, जिस कारण से संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का युक्तिसंगत आधार परिलक्षित नहीं होता है। तद्नुसार, सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–5395 (एस) दिनांक–05.09.2023 के द्वारा श्री नौशाद आलम, कार्यपालक अभियंता को आरोप मुक्त किया गया। इसी मामले में समरूप आरोपों के लिए एक अन्य आरोपी अभियंता **श्री सत्येश्वर मांझी**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल उदाकिशुनगंज, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षोपरांत समरूप आरोपों के आधार पर इनके स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए श्री मांझी को आरोप मुक्त किया गया। इसी मामले में ही एक अन्य आरोपी अभियंता **श्री राजा बाबू**, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत के स्पष्टीकरण उत्तर को भी समरूप आरोपों के आधार पर स्वीकार करते हुए गठित आरोप से मुक्त किया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि "चूंकि इसी मामले में ही समरूप आरोपों के लिए संबंधित तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री नौशाद आलम, तत्कालीन सहायक अभियंता श्री सत्येश्वर मांझी एवं तत्कालीन कनीय अभियंता श्री राजा बाबू को पूर्व में आरोप मुक्त किया जा चुका है।" इसलिए उक्त आधार पर आरोपी **श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी**, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल कुमारखंड, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः सेवानिवृत (दिनांक–31.01.2022) के स्पष्टीकरण उत्तर को स्वीकार करते हुए गठित आरोप से मुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–4(पथ) आरोप–40/2017 (अंश) पटना, दिनांक............................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–4(पथ) आरोप–40 / 2017 (अंश) पटना, दिनांक :..........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–4(पथ) आरोप–40 / 2017 (अंश) **पटना, दिनांक**............................

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (का० प्र०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, सीमांचल, पथ निर्माण विभाग, पटना / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव (मु0 / लेखा) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 / 3 / 6 / 13 / 14, एवं लेखा शाखा (प्रशाखा–30), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल कुमारखंड, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति: सेवानिवृत पत्राचार का पता–मोहल्ला–साउथ पोदार भवन, डी०भी०सी० चौक, जक्कनपुर, पो०–जी0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, पटना, पिन–800001** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह० / –
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–4(पथ) आरोप–40 / 2017 (अंश) पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग / सारा–4(पथ) आरोप–40 / 2017 (अंश) 481७(S) पटना, दिनांक 16/7/2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16.7.26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।